2025/139

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

राजेश कुमार जरिये मुखत्यार आमा मनोज बंसल बनाम स्टेट व सरिता बिश्नोई

अपील सं0 36 / 2025

अधिवक्ता अपीलार्थी :– संजय जनवेजा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट :–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
29.08.2025	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। अधिवक्ता अपीलार्थी को क्षैत्राधिकार के बिन्दु पर सुना गया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–: LU2012/SGN/2025-26/101397 दिनांक 01.08.2025 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 5561 दिनांक 05.08.2025 जो पारित किया गया है वह विधि विरूद्व पारित किया गया है। जिसे निरस्त करवाने बाबत उक्त अपील श्रीमान न्यायालय में पेश की गई है जिसकी सुनवाई का क्षैत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को है। अतः अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र अधिवक्ता अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावें, ताकि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 5561 दिनांक 05.08.2025 जो विधि विरूद्व पारित किया गया है के विरूद्व स्थगन प्राप्त किया जाकर अपीलार्थी को होने वाली अपूर्णीय क्षति से बचाया जा सकें। अतः क्षेत्राधिकार के बिन्दु को स्वीकार किया जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावें। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि उक्त अपील प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–: LU2012/SGN/2025-26/101397 दिनांक 01.08.2025 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 5561 दिनांक 05.08.2025 जो पारित किया गया है के विरूद्व पेश की गई है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायलय को नहीं होने के कारण उक्त अपील अपीलार्थी लौटाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुभाष कुमार) अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (प्रशा0)	